

Received 3 PM
8/11/80

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

B-1, W.P.O. 1511
Po - 900
KM - 20
TL - 43
R - 837
31/11/80

सं० 370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1980/अग्रहाण्य-6, 1902
No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1980/Agrahayana 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1980

23/11/80
22/11/80

सा. का. नि. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि कर्मचारी
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन ईट
उद्योग अर्थात्, ईटों के विनिर्माण में लगे हुए किसी उद्योग के कर्मचारियों की बायत
एक भविष्य निधि स्कीम बनाई जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,
1952 (1952 का 19) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, उक्त उद्योग को 30 नवम्बर, 1980 से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में
जोड़ती है।

[सं. एस-35016(5)/76-पी. एफ.-2 (1)]
नवीन चावला, उप-सचिव

989 G1/80 (1367)

Attested
[Signature]
सचिव, श्रम मंत्रालय
नवीन चावला, दिनांक 21/11/80

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION


New Delhi, the 27th November, 1980

✓ **G.S.R. 662(E).**—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) in respect of the employees of the Brick Industry, that is to say, any industry engaged in the manufacture of Bricks;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 30th November, 1980 the said industry to Schedule I of the said Act.

[No. S. 35016(5)/76-PF-II]

NAVIN CHAWLA, Dy. Secy.

Attested. 

कार्य प्रकाश, एकाग्र विभाग,
नियंत्रण कार्य, दिल्ली-54

21/11/80